Anusandhanvallari
Vol 2024, No.1
January 2024
ISSN 2229-3388

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारीः राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले का एक अध्ययन

डॉ. चारू मिश्रा
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर।

मीनाक्षी वैष्णव
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग,
अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर।

सारांश (Abstract)

"मानव ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है और मानव समाज की यह विकास शृंखला स्त्री और पुरूष रूपी संसार सागर के उतार चढावों से गुजरती रही है। आज की दुनियां में पुरूषों के साथ–साथ महिलायें भी निश्चित रूप से जागरूक हुई है और अपनी पृथक पहचान हासिल करने में सफल हो रही है। महिलाओं की इस पृथक पहचान में पंचायतीराज–व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने से भी परिणाम सकारात्मक आये है तथा महिलाओं की स्थिति पहले की अपेक्षा सुदृढ़ बन पाई है। हमारे संविधान में इस बात की गारन्टी भी दी गई है कि सार्वजनिक नियुक्तियों में पुरूष एवं स्त्रियों बीच समानता बरती जायेगी तथा प्रत्येक नागरिक का यह भूतपूर्व कर्त्तव्य बताया गया है कि वह महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल पद्धतियों का त्याग करें। संविधान में उल्लेखित प्रावधानों से कुछ हद तक पुरूषों की संकीर्ण मानसिकता में परिवर्तन आया है तथा महिला शिक्षा, लैगिंक समानता जैसे विषयों के क्रियान्वयन की प्राथमिकता को स्वीकार किया जाने लगा है और महिलाओं में नवीन चेतना, नया सामर्थ्य एवं आत्मविश्वास बढ़ा है तथा महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया मजबूत हुई है।

मुख्य शब्दः महिला सशक्तिकरण, संकीर्ण मानसिकता, पंचायतीराज–व्यवस्था, महिला प्रतिनिधि, महिला जागरूकता।

परिचय (Introduction)

महिलाएँ किसी भी देश की आधी आबादी होती हैं, इसलिए उनकी सक्रिय भागीदारी के बगैर विकास की गतिविधि नहीं की जा सकती। यह अक्सर सुना जाता है कि, "महिलाएँ समाज की मां होती हैं और समाज की तरक्की महिलाओं के विकास पर निर्भर करती है।" अगर एक मां सशक्त होती है, तो एक परिवार और आखिर में पूरा समाज भी सशक्त होता है। सशक्तिकरण कुछ ऐसा नहीं है जो किसी के द्वारा किया जाये, बल्कि सशक्तिकरण एक नज़रिया है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है औरतों की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना। इसमें उनकी अपनी क्षमता पर आत्मविश्वास विकसित करना

भी शामिल है। यह सब एहसास कि जब तक महिलाएँ सशक्त नहीं होंगी, किसी भी आर्थिक स्थिति की तरक्की नामुमकिन है, उन्हें सशक्त करने के लिए कई योजना, नीति, कार्यक्रम और अधिनियम बनाए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का भाग लेना ज़रूरी माना जाता है। इतिहास बताता है कि भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी हमेशा रही है, लेकिन यह आंकड़ा बहुत कम है।

वर्तमान भारत में पंचायती राज प्रणाली ज़मीनी स्तर की लोकतंत्र के तौर पर चल रहा है। इस प्रणाली के तहत् ग्राम के प्रत्येक निवासी एक तरफ लोकतंत्र में और दूसरी तरफ ग्राम के विकास में सक्रिय रूप से हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि, भारत की सबसे पुरानी पवित्र किताब 'ऋग्वेद' में ग्रामों और ऊँचे अधिकारियों के मध्य 'सभा' नामक संस्था होने का ज़िक्र है, जो समय के साथ में 'पंचायत' के तौर पर मशहूर हुई। मुगलकाल तक इस संस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1870 में बंगाल चौकीदारी अधिनियम ने ग्राम के सदस्यों को मनोनीत करके पंचायत बनाने का अधिकार दिया। 1919 के मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों ने स्थानीय स्वशासन को प्रांतों में भारतीय मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में ला दिया। भारत के संविधान के आर्टिकल 40 में गांव की पंचायतों को संविधान के भाग–IV में शामिल किया गया, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। मई 1989 में, केंद्र सरकार ने संविधान बिल पेश किया, जिसमें संवैधानिक रूप से मंजूर पंचायती राज का प्रस्ताव था। बलवंत राज मेहता कमेटी ने कहा कि पंचायत राज गांव के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेगा और गांव के विकास के साथ–साथ विकास के कामों में गांवों की भागीदारी भी पक्की करेगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 हमारे देश में सियासी सत्ता के जमीनी लोकतंत्र में बदलाव में एक अहम पड़ाव है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण से स्थानीय निकायों को सभी सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिला है। पंचायती राज संस्थाएँ गांव के लोगों को सभी राष्ट्रीय चुनौतियों को पूरा करने के लिए स्वयं को जमीनी स्तर पर शामिल करने का मौका देती हैं। समाज में पूरी भागीदारी के लिए अब ग्राम की महिलाओं की भागीदारी पक्की की गई है, उनके लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के ज़रिए जमीनी राजनीति में चुनी हुई महिला प्रतिनिधि का प्रवेश, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 243D में शुरू की गई है, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक–तिहाई से सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करती है। ये सीटें सीधे चुनाव से भरी जाएंगी, जो हर स्तर पर पंचायत में अध्यक्ष के कुल अधिकारियों की संख्या का कम से कम एक–तिहाई होंगी और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी (भारत सरकार, 2010)।

Anusandhanvallari
Vol 2024, No.1
January 2024
ISSN 2229-3388

अध्ययन की पृष्ठभूमि (Bacground of the Study)–राजस्थान का प्रत्येक जिला अपनी एक अलग विशिष्टता लिए हुए है, जिनमें सवाईमाधोपुर जिला भी एक है। यहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य, दर्शनीय स्थल, रणथम्भौर टाईगर प्रोजेक्ट तथा प्राचीन इतिहास की अपनी एक अलग पहचान है। सवाईमाधोपुर जिले की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1335551 है। वर्ष 2025 तक सवाईमाधोपुर की जनसंख्या 1,548,972 होने का अनुमान है। दिल्ली–मुम्बई रेलमार्ग तथा जयपुर मुम्बई सड़क मार्ग से सीधा जुड़ा सवाईमाधोपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर से मात्र 132 किलोमीटर एवं कोटा से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5042.99 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के क्षेत्रफल का 147 प्रतिशत है। इसमें 4967.70 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण व 75.29 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्रफल है। जिले की कुल जनसंख्या में 704031 पुरुष व 631520 महिलाएँ है। वर्ष 2025 की तक पुरुषों की जनसंख्या 816,535 तथा महिलाओं की जनसंख्या 732,437 होने का अनुमान है। इनमें से 1069084 ग्रामीण जनसंख्या है, शेष 266467 शहरी या नगरीय जनसंख्या है। जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 278789 है, जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 285848 है। सवाईमाधोपुर जिले का जनघनत्व 297 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि जिले में लिंगानुपात 897 है जो प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या को व्यक्त करता है।

प्रशासनिक दृष्टि से जिले में 8 उपखण्ड 8 तहसील, 3 उपतहसील, 2 नगर परिषद् (गंगापुर सिटी व सवाईमाधोपुर) 6 पंचायत समिति (सवाईमाधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, खण्डार, गंगापुर सिटी, बौंली व बामनवास) है। सवाईमाधोपुर जिले में 200 ग्राम पंचायत है। जिले में 800 राजस्व ग्राम है, इनमें 718 ग्राम आबाद और 82 गैर–आबाद ग्राम है (जनगणना प्रतिवेदन, 2011)।

सवाईमाधोपुर जिले का लोकसभा क्षेत्र दो जिलों टोंक व सवाईमाधोपुर से मिलकर बना है, जो टोंक–सवाईमाधोपुर लोक सभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में श्री हरीश चंद्र मीना (कांग्रेस) इस लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा सदस्य है।

जिले में 3 विधायक पद पर पुरूष व एक विधायक पद पर महिला चुनाव जीती है।3 जिले की एक मात्र महिला विधायक इंदिरा अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता से कार्य कर रही है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि जिले की महिलाएँ इनकी कार्यशैली से काफी प्रभावित हो रही है। इंदिरा मीणा 2013 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी थी हालांकि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आकर विधायक इंदिरा मीणा ने प्रचार नहीं किया था और नवल किशोर मीणा कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था। वहीं 2018 के

विधानसभा चुनाव में विधायक इंदिरा मीणा ने त्रिकोणीय संघर्ष के बावजूद बड़े अंतराल से जीत दर्ज की थी और बामनवास से इंदिरा मीणा को 73656 वोट मिले थे।

वहीं वर्तमान में विधायक इंदिरा मीणा पीसीसी महासचिव भी हैं और वह 2008 से ही कांग्रेस पार्टी में सक्रिय है। इंदिरा और युवा कांग्रेस की जिला महासचिव पद के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की।

जिले में राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका ठीक–ठीक रही है। पूर्व में सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से श्रीमती ऊषा मीना सांसद बनी जो संभवतया राज्य की अनुसूचित जनजाति की प्रथम लोकसभा सदस्य (सांसद) थी, इनके बाद श्रीमती जसकौर मीना इसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती, जो बाद में केन्द्र सरकार में राज्य स्तर की मंत्री भी बनी । इस प्रकार जिले में महिलाएँ शुरू से ही राजनीति में अग्रणी भूमिका में रही है। इन सबसे प्रभावित होकर महिलाएँ भी अब राजनीति में आगे आने लगी है।

शोध विधि (Methodology)–यह शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़ों के रूप में सवाईमाधोपुर की 6 पंचायत समिति (सवाईमाधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, खण्डार, गंगापुर सिटी, बौंली व बामनवास) से दैव निर्देशन पद्धति के आधार पर चयनित महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों के रूप में राजस्थान चुनाव आयोग द्वारा जारी वर्ष 2000, 2010, 2015, 2020–21 प्रकाशित विवरणीका से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

सवाईमाधोपुर जिले के आम चुनावों में महिलाओं की स्थिति

सवाईमाधोपुर जिले में वर्ष 2000 में कुल 40 महिला सरपंच निर्वाचित हुईं। इसके बाद 2005 में यह संख्या बढ़कर 73 हो गई। वर्ष 2010 में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह संख्या 105 तक पहुँच गई। 2015 में भी महिला सरपंचों की संख्या में वृद्धि हुई और यह 103 तक पहुँची। वर्ष 2020–21 में यह बढ़कर 124 तक पहुँच गई।

क्षेत्रवार विश्लेषण में देखा जाए तो वर्ष 2020–21 में सबसे अधिक महिला सरपंच गंगापुर सिटी पंचायत समिति से निर्वाचित हुईं, जिनकी संख्या 23 रही। इसके बाद बामनवास में 23, सवाईमाधोपुर में 21 और खंडार में 17 महिला सरपंच निर्वाचित हुईं। सबसे कम संख्या चौथ का बरवाड़ा में 13 रही। वर्ष 2010 और 2020 के बीच महिला सरपंचों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई, जो महिलाओं की राजनीतिक भूमिका और आरक्षण नीति के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।

हालाँकि, शुरूआती वर्षों में कुल संख्या में थोड़ी कमी देखी गई, जो यह संकेत देती है कि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका को और अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

तालिका 1.1

सवाईमाधोपुर जिले में विभिन्न चुनावों में निर्वाचित महिला सरपंच (2000 से 2020–21)

पंचायत समिति	2000	2005	2010	2015	2020–21
बामनवास	10	14	20	19	22
बौंली	6	13	21	21	14
चौथ का बरवाड़ा				11	13
गंगापुर सिटी	8	16	20	21	23
खंडार	6	12	17	16	17
मलारना डूंगर					14
सवाईमाधोपुर	10	18	27	15	21
कुल	**40**	**73**	**105**	**103**	**124**

स्रोतः द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर शोधार्थी द्वारा संकलित

तालिका से यह स्पष्ट होता है कि पिछले दो दशकों में सवाईमाधोपुर जिले में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विशेषकर 2010 और 2015 में यह वृद्धि अपने उच्चतम स्तर पर रही, जिससे महिलाओं के राजनीतिक भूमिका की दिशा में हुई प्रगति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

आरेख 1.1

वर्ष 2000 से 2020–21 के दौरान सवाईमाधोपुर जिले में निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या

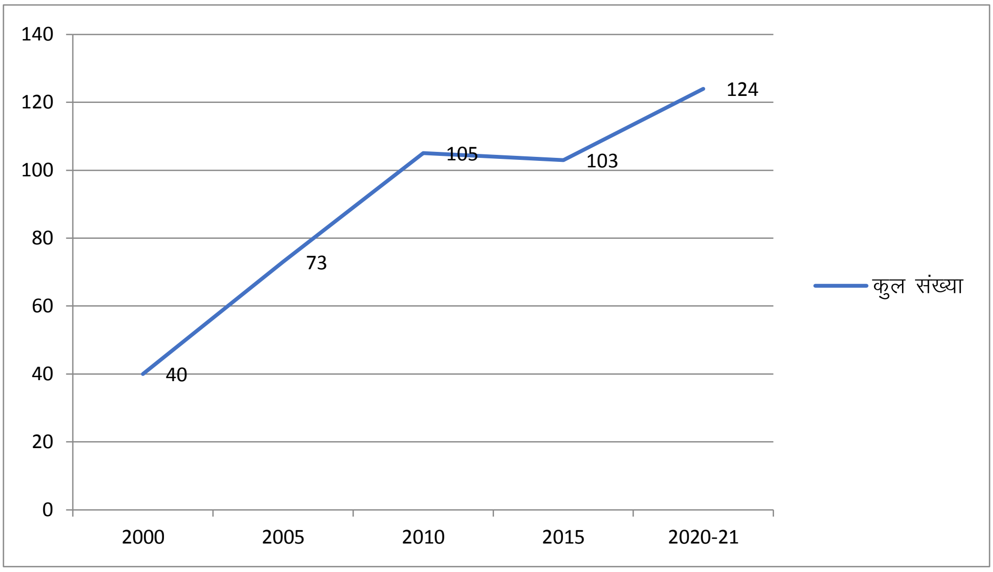

Anusandhanvallari
Vol 2024, No.1
January 2024
ISSN 2229-3388

पंचायत समिति सदस्यों में महिला प्रतिनिधित्व

जिले में पंचायत समिति सदस्यों के रूप में वर्ष 2000 से 2020–21 तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व को देखने पर पता चलता है की इन 20 वर्षों में जिले में इस स्थिति में परिवर्तन आया है। प्रस्तुत तालिका में सवाईमाधोपुर जिले में वर्ष 2000 से 2020–21 तक के पंचायत समिति चुनावों में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रत्येक पंचायत समिति में अलग–अलग चुनाव वर्षों 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020–21 में निर्वाचित महिलाओं की संख्या को दर्शाया गया है।

तालिका 1.2

सवाईमाधोपुर जिले में विभिन्न चुनावों में पंचायत समिति सदस्यों के रूप में निर्वाचित महिलाएँ (2000 से 2020–21)

पंचायत समिति	2000	2005	2010	2015	2020–21
बामनवास	10	6	13	13	13
बौंली	6	8	15	13	11
चौथ का बरवाड़ा				12	12
गंगापुर सिटी	8	9	11	15	10
खंडार	6	8	9	10	14
मलारना डूंगर					15
सवाईमाधोपुर	10	9	12	10	9
कुल	**40**	**44**	**60**	**73**	**84**

स्रोतः द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर शोधार्थी द्वारा संकलित

आरेख 1.2

वर्ष 2000 से 2020–21 के दौरान सवाईमाधोपुर जिले में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या

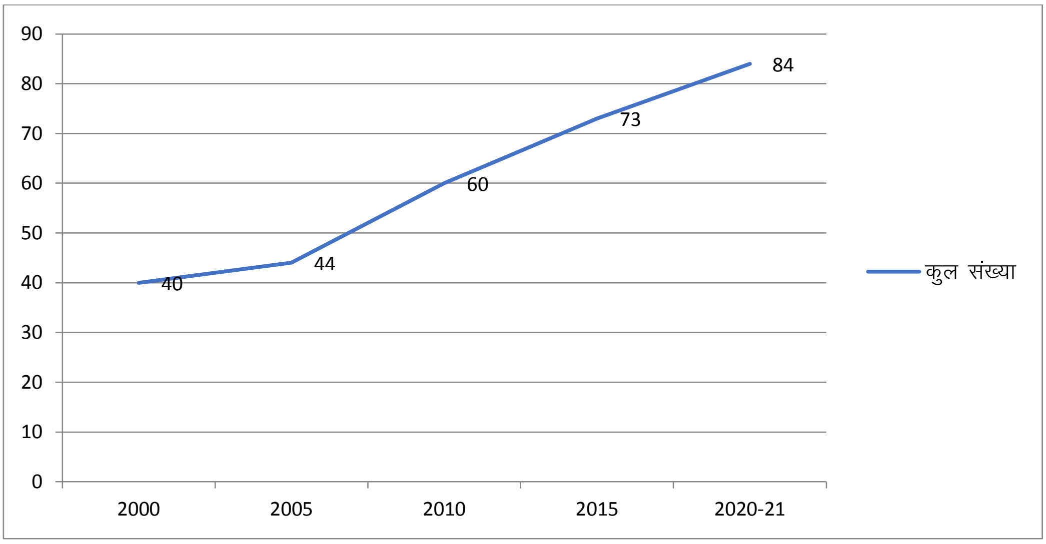

वर्ष 2000 में कुल 40 महिलाएँ पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित हुईं। इसके बाद 2005 और 2010 में यह संख्या बढ़कर क्रमशः 44 व 60 पहुँच गई। वर्ष 2015 में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह संख्या 73 तक पहुँच गई। वर्ष 2020–21 में यह संख्या बढ़कर 84 हो गई, जो यह दर्शाती है कि पंचायत समिति स्तर पर महिलाओं का नेतृत्व लगातार मजबूत हो रहा है। वर्ष 2020–21 के चुनाव में मलारना डूंगर पंचायत समिति में सर्वाधिक 15 महिलाएँ निर्वाचित हुईं। खंडार पंचायत समिति में 14 महिलाएँ निर्वाचित हुईं। सबसे कम महिलाएँ गंगापुर सिटी में 10 महिलाएँ निर्वाचित हुईं।

निष्कर्ष:

प्रस्तुत अध्ययन में सवाईमाधोपुर जिले की 6 पंचायत समितियों के द्वितीयक आंकड़ों को सम्मिलित किया गया है साथ ही प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रश्नावलियों के उत्तरों के विश्लेषण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के से प्राप्त 33 प्रतिशत आरक्षण के कारण पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली है। महिलाएँ अपने परिवार के साथ–साथ समाज के विकास की बातें भी सोचने लगी हैं। साथ ही परिवार के साथ–साथ ग्रामीण विकास के सभी पहलुओं पर विचार–विमर्श करने तथा उसमें अपनी भागीदारी के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। विगत् 25 वर्षों के चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष दर वर्ष महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी देखने को मिली। पंचायती राज संस्थाओं में सर्वाधिक भागीदारी अनुसूचित जनजाति की देखने को मिलती है इसका प्रमुख कारण सवाईमाधोपुर जिले में अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी वर्ग की जनसंख्या का प्रभुत्व सर्वाधिक अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली है।

संदर्भ

- पंचायती राज मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2023–24, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 18–19.
- गुप्ता, आशा. (2019). ग्राम स्वराज और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी. आगराः लक्ष्मी नारायण पब्लिकेशन।
- प्रभापूर्ण मिश्रा आलेख "पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक, जानिए कब देश में लागू हुई पंचायती राज व्यवस्था", जागरण 24 अप्रेल, 2022
- जोशी, प्रेरणा. (2022). राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और चुनौतियाँ. जयपुरः समकालीन प्रकाशन।

- माहेश्वरी एस. आर, अग्रवाल लक्ष्मीनारायण (2009) भारत में स्थानीय प्रशासन, आगरा–3, 2009
- नलिनी केलर (2020), सामाजिक विकास और प्रगतिशील महिलाएं, श्रुति पब्लिकेशन, जयपुर
- अंजनी, दातला (2009), "महिलाएं नेता के रूप मेंरू भारत में राजनीतिक कोटा से सबक," नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, 18 जून।
- नफीसा हलीम, कैथरीन एम. यूंट, सॉल्विग ए. कनिंघम और रोहिणी पी. पांडे (2016). "महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण और भारत में प्राथमिक स्कूली शिक्षा में निवेश", सोशल इंडिकेटर्स रिसर्च, फरवरी, खंड 125, संख्या 3, पृष्ठ 813–851.
- महिलाओं को भी पंचायत के कामों में भागीदार बनाया जाएगा, होगी महिला सभा, जनसत्ता, 25 अप्रैल, 2016